



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21062021-227732
CG-DL-W-21062021-227732

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19—जून 25, 2021 (ज्येष्ठ 29, 1943)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19—JUNE 25, 2021 (JYAISTHA 29, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	261	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	451	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2293	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1139
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	135
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1165
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	261	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	451	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2293	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1139
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	135
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1165
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2021

सं. 10/28/2018-यू 3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को, यूजीसी के परामर्श से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श से, एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई, जिसमें एस.आर.एम. डेंटल कॉलेज, चैन्नई भी शामिल है, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ दिनांक 02.08.2002 की अधिसूचना सं. 9-9/98-यू.3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया है।

3. और इसके अलावा जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09 मई, 2019 की अधिसूचना सं. एफ.9-9/98-यू.3 (पार्ट-1) के तहत एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को इस शर्त पर दिनांक 16.10.2013 से 15.08.2023 तक बढ़ाया है कि संस्था यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर अपने कार्य निष्पादन और शैक्षणिक निष्कर्षों में सुधार लाएगी।

4. और इसके अलावा जबकि, एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चैन्नई ने इरुंगालूर (तिरुचिरापल्ली) में अपना ऑफ-कैंपस स्थापित करने हेतु दिनांक 28.12.2018 को आवेदन किया था। इसे यूजीसी के पास जांच एवं परामर्श हेतु भेजा गया था। यूजीसी के परामर्श पर विचार करते हुए मंत्रालय द्वारा एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई को इरुंगालूर (तिरुचिरापल्ली) में अपना ऑफ कैंपस शुरू करने से पूर्व कतिपय शर्तों को पूरा करने हेतु दिनांक 01.10.2019 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया।

5. और जबकि, एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चैन्नई ने एलओआई में निर्धारित शर्तों के संबंध में अपनी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यूजीसी ने सम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट को सत्यापित किया है और इरुंगालूर (तिरुचिरापल्ली) में ऑफ कैंपस शुरू करने हेतु दिनांक 01.10.2019 के एलओआई में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में दिनांक 07.12.2020 के पत्र सं. 1-5/2018(सीपीपी-1/डीयू) के तहत मंत्रालय को सूचित किया है।

6. अतः अब, केन्द्र सरकार, यूजीसी के परामर्श से, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चैन्नई को इरुंगालूर (तिरुचिरापल्ली) में एक ऑफ-कैंपस शुरू करने हेतु अनुमति प्रदान करती है।

7. यह अनुमति यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 और केन्द्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी संगत मानकों/नियमों/विनियमों/निर्देशों की अनुपालना के अध्यक्षीन होगी।

कामिनी चौहान रतन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 1st June 2021

No. F.10/28/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be university.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-9/98-U.3 dated 02.08.2002, on the advice of UGC, had declared S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai comprising S.R.M. Dental College, Chennai, as an Institution deemed to be University, for the purpose of the aforesaid Act.

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. F.9-9/98-U.3(Pt.1) dated 9th May, 2019, extended deemed to be University status of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai from 16.10.2013 to 15.08.2023 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

4. And further whereas, S.R.M. Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Chennai submitted an application on 28.12.2018 for establishment of an off-campus centre at Irungalur (Tiruchirappalli). The same was forwarded to UGC for examination and advice. Taking into consideration the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent (LoI) on 1st October, 2019 to S.R.M. Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Chennai for fulfilment of certain conditions before starting of Off-Campus at Irungalur (Tiruchirappalli).

5. And whereas, S.R.M. Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Chennai submitted the compliance report in respect of the conditions stipulated in LoI. UGC verified the compliance report submitted by the Deemed to be University and informed Ministry vide its Letter No. 1-5/2018(CPP-I/DU) dated 7th December 2020 regarding the fulfilment of conditions mentioned in LoI dated 01.10.2019 for starting of Off-Campus at Irungalur (Tiruchirappalli).

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, grants permission to S.R.M. Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Chennai to start an Off-Campus Centre at Irungalur (Tiruchirappalli), with effect from the issuance of this Notification.

7. This permission shall be subject to the compliance of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/ Rules/ Regulations/ Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils from time to time.

KAMINI CHAUHAN RATAN
Joint Secretary